[2019] 12 एससीसीआर। 1064

गुरु @गुरुबरन और ओआरएस।

बनाम

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व

(2010 की आपराधिक अपील नंबर. 893) 27 सितंबर, 2019

[दीपका गुप्ता और अनिरुद्ध बोस, जेजे।]

दंड संहिता, 1860–एसएस। 302, 323 और 324–हत्या–पक्षकारों के बीच कुछ विवाद था–अभियोजन का मामला यह था कि पंचायत को विवाद को निपटाने के लिए बुलाया गया था–चूंकि, पंचायत के प्रधान को अयोग्य घोषित कर दिया गया था, पंचायत को आयोजित नहीं किया गया था–उसके बाद, पीडब्लू–2, उसकी बहन पीड़ित–मृतक, उसकी पत्नी पीडब्लू–7, पीडब्लू–13 और पीडब्लू–2 का बेटा पीडब्लू–2 के घर के बाहर खड़े थे और आपस में बात कर रहे थे–जब वे खड़े थे, तो सभी आरोपी व्यक्ति (ए–1, ए–2, ए–3, ए–5 और ए–9) दरांती से लैस होकर आए।
(पाइप और लकड़ी)और पीड़ित पर हमला किया–पीड़ित की मृत्यु हो गई–उच्च न्यायालय ने ए–1 और ए–2 यू/एस को दोषी ठहराया। 302 आईपीसी, ए–3 यू/एस। 324 आईपीसी और ए–5 और ए–9 यू/एस। 323 आईपीसी–अभियुक्त ने तर्क दिया कि दोनों पक्षों में एक स्वतंत्र लड़ाई थी और यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि मन की पूर्व बैठक थी और आगे आग्रह किया कि अपराध हत्या का नहीं था, लेकिन हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का संस्करण आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सभी चश्मदीद गवाह समान थे–चिकित्सा साक्ष्य भी पूरी तरह से सभी चश्मदीद गवाहों के संस्करण की पुष्टि की–अपवाद 4 से एस. 300 के इंसोफर लाभ का संबंध है, सबूतों से संकेत मिलता है कि सभी आरोपी व्यक्ति सशस्त्र आए थे–तथ्य यह है कि वे सशस्त्र थे, इस तथ्य से संकेत मिलता है कि घटना आवेश की तीव्रता में नहीं हुई थी, अचानक झगड़े पर–ए–1 ने मृतक को सिर पर दरांती से मारा था, जिससे खोपड़ी का फ्रैक्चर हो गया था, इस मामले को एस. 300 आईपीसी के 'चौथे' खंड के भीतर लाया गया था–इसलिए, दण्ड को बदलने का कोई कारण नहीं है और ए–1 की सजा–हालांकि, ए–2 ने मृतक की गर्दन के पीछे एक लोहे के पाइप के साथ झटका दिया था, जिसके कारण केवल घर्षण हुआ था–इसलिए, उसकी सजा यू/एस. 302 को बदलकर एस. 324 आईपीसी–इंसोफर के रूप में दोषी ठहराया गया। ए–3, ए–5 और ए–9 का संबंध है, उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

द्वारा अनुवाद-

अविरल सिंह,
जे.ओ. कोड-UP-2547

अपीलों का निपटारा करते हुए न्यायालय द्वारा

हेल्डः 1। डॉक्टर का कहना है कि चोटों के कारण पीड़ित की मौत हुई। पहली चोट एक घाव है और यह आरोपी व्यक्तियों द्वारा आग्रह किया जाता है, कि यह चोट दरांती (कोडुवल) के कारण नहीं हो सकती है, जो एक तेज धार वाला हथियार है। दरांती मुख्य रूप से घास और फसलों को काटने के लिए एक उपकरण है। भीतरी पक्ष तेज है लेकिन बाहरी पक्ष कुंद है। इसे केवल कृषि के साधन के रूप में उपयोग करते समय, तेज धार का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसे अपराध के हथियार के रूप में उपयोग करते समय, अधिक बार यह बाहरी पक्ष होगा जिसका उपयोग पीड़ित को मारने के लिए किया जाएगा। डॉक्टर ने कहा है कि चोट एक दरांती के कारण हो सकती है जो एमओ–1 है और इसलिए, चिकित्सा साक्ष्य पूरी तरह से सभी चश्मदीद गवाहों के संस्करण की पुष्टि करता है। [पैरा 5] [1068–जीएच; 1069–ए]

2। आरोपी अपवाद 4 से एस. 300 आईपीसी का लाभ नहीं ले सकता है। यह सबूत में आया है कि सभी आरोपी व्यक्ति सशस्त्र आए थे। दो दरांती से लैस थे, एक लोहे के पाइप के साथ और दूसरा लकड़ी के डंडे के साथ। यहां तक कि अगर यह माना जाता है कि वे हत्या के इरादे से नहीं आए हैं, तो तथ्य यह है कि वे सशस्त्र थे, स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अचानक झगड़े पर, जुनून की गर्मी में घटना नहीं हुई थी। जैसा कि पहले बताया गया था, दोनों पक्ष एक पंचायत में भाग लेने के लिए आ रहे थे एक विवाद को शांत करने के लिए। यदि केवल विवाद को निपटाने का इरादा था तो हथियार ले जाने की आवश्यकता कहां थी? अन्यथा, अपवाद 4 लागू नहीं होता है क्योंकि जिस तरह से सिर के बीच में झटका दिया गया था, वह इस मामले को धारा 300 आईपीसी के खंड "चौथे" के भीतर लाता है। [पैरा 7] [1069–डी–ई]

3. ए–1 को पता होना चाहिए था कि वह जो कार्य कर रहा है, वह मृतक को सिर पर दरांती से मारने के लिए इतनी बड़ी ताकत के साथ खोपड़ी के फ्रैक्चर का कारण बनता है, इतना खतरनाक है कि यह आसन्न रूप से मौत का कारण होगा। इसलिए, ए–1 की सजा या सजा को बदलने का कोई कारण नहीं है। [पैरा 8] [1070–ए]

4. हालांकि, जहां तक ए–2 का संबंध है, चूंकि उच्च न्यायालय ने माना है कि न तो धारा 34 और न ही धारा 149 आईपीसी लागू है, प्रत्येक अभियुक्त केवल अपने स्वयं के कृत्यों और चोटों के लिए जिम्मेदार होगा। इस संबंध में, एक निर्णय का संदर्भ दिया गया था। आत्माराम जिंगाराजी बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में यह न्यायालय। राज्य द्वारा कोई अपील नहीं है। जहां तक ए–2 का सवाल है, उसका आरोप है कि उसने मृतक की गर्दन के पीछे लोहे के पाइप से प्रहार किया था। इसके परिणामस्वरूप चोट संख्या 2 और 3 हुई। वे केवल घर्षण हैं और मृत्यु का कारण नहीं बन सकते थे। इसलिए, अभियुक्त को केवल धारा 324 आईपीसी के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया जा सकता है। वह पहले ही लगभग 11 साल तक कारावास की सजा काट चुका है और इसलिए, धारा 302 आईपीसी के तहत उसकी सजा को धारा 324 आईपीसी में बदल दिया गया है और सजा

पहले से ही कारावास की अवधि तक कम हो गई है। जहां तक ए–3, ए–5 और ए–9 का संबंध है, इस न्यायालय को उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है क्योंकि प्रत्येक को उस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जो उन्होंने किया है। [पैरा 9] [1070–बी–ई]

आत्माराम जिंगाराजी बनाम महाराष्ट्र राज्य (1997) 7

एससीसी 41: [1997] 3 सप्ल। एससीआर 432–संदर्भित।

केस लॉ संदर्भ

[1997] 3 सप्ल। एससीआर 432 _ पैरा 9 को संदर्भित

क्रिमिनल अपीलीय न्यायाधिकरणः आपराधिक अपील

2010 का नंबर. 893

जजमेंट एंड ऑर्डर से दिनांक 10.02.2009 को मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक न्यायालय में क्रिमिनल अपील नं। 2000 का 615

एस। नागमुथु, सीनियर सलाहकार।, बी। बालाजी, एस। अरुण प्रकाश, सत्य मित्र गर्ग, सलाहकार। अपीलकर्ताओं के लिए।

जयंत मुथ राज, सीनियर सलाहकार। (एएजी), एम। योगेश कन्न, सलाहकार। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय दिया गया था

दीपका गुप्ता, जे. द्वारा

1। यह अपील अभियुक्त द्वारा 1, 2, 3, 4, 5 और 9 दायर की गई है। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर की गई है। जिसमें गुरु @गुरुबरन (ए–1) और दुरई @दुरईराजन (ए–2) को धारा 302, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत दोषी ठहराया गया है और आजीवन कारावास की सजा और रु. 1000/– का जुर्माना अदा करने के लिए प्रत्येक को 3 महीने के सश्रम कारावास (आरआई) की डिफ़ॉल्ट सजा के साथ। जहां तक विट्री @वेट्रिवेल (ए–3) का सवाल है, उन्हें दो मामलों में धारा 324 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया था

और प्रत्येक देश पर एक साल की सजा सुनाई गई थी। 3 महीने की डिफ़ॉल्ट सजा के 1000/–रुपये का जुर्माना। नारायणन (ए–5) और श्रीनिवासन (ए–9) अन्य के साथ अभियुक्तों को धारा 323 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया और छह महीने की आरआई से गुजरने और 3 महीने की डिफ़ॉल्ट सजा के साथ प्रत्येक को रु. 1000/– का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। सभी वाक्यों को समवर्ती रूप से चलाना था।

2। अभियोजन का मामला यह है कि मृतक सरोजा और मुनुसामी पिल्लई (पीडब्लू–1) के बेटे परशुराम (पीडब्लू–14) को ए–1 की छोटी बहन उमा से प्यार था। दोनों की शादी हो गई और शादी के बाद पीडब्लू–14 अपनी पत्नी के घर में रहता था। हालांकि, सरोजा (मृतक) ने इसे मंजूरी नहीं दी। इसके बाद, पीडब्लू–14 अपने घर वापस आ गया। 03.03.1998 को, यह आरोप लगाया गया कि जयरामन (ए–4) ने नागराजन (पीडब्लू–2), सरोजा के भाई और पीडब्लू–1 के बहनोई के साथ मारपीट की। विवाद को निपटाने के लिए, एक पंचायत को वें कहा जाता था अगले दिन की गई यह माना जाता है कि इस पंचायत को ए–1 के उदाहरण पर बुलाया गया था। शाम को पंचायत का आयोजन किया जाना था। हालाँकि, चूंकि पंचायत का प्रधान अपरिहार्य था, इसलिए पंचायत का आयोजन नहीं किया जा सका। इसके बाद, पीडब्लू–2, उसकी बहन सरोजा (मृतक), उसकी पत्नी रानी (पीडब्लू–7), मुरुगन (पीडब्लू–13) और पीडब्लू–2 और पीडब्लू–7 के बेटे नवीन कुमार पीडब्लू–2 के घर के बाहर खड़े थे।(आपस में बात करते हुए)। उनके अनुसार, पंचायत की वजह से पीडब्लू–13 गांव में आया था।
ए–1 एक दरांती (कोडुवल) से लैस था, ए–2 एक लोहे के पाइप से लैस था, ए–3 एक दरांती (कोडुवल) से लैस था और ए–4 से ए–9 में उनके हाथों में मोटी लकड़ी के डंडे थे।। आरोप है कि ए–1 ने मृतक सरोजा पर उसके सिर के सामने के हिस्से पर दरांती से हमला किया और कहा कि यह केवल उसकी वजह से था कि ए–1 की छोटी बहन को अपने पति से अलग रहना पड़ता है। ए–2 ने एक लोहे के पाइप के साथ सरोजा की गर्दन के पीछे एक झटका दिया। अन्य आरोपियों पर सरोजा पर लकड़ी के डंडे के एक साथ हमला करने का आरोप है। अपने हाथ में लकड़ी के कर्मचारियों के साथ एड सरोजा। जब सरोजा के परिवार के सदस्यों ने उसकी रक्षा करने की कोशिश की, तो सभी 9 आरोपियों ने उसे घेर लिया और इस तरह, वे उसकी रक्षा नहीं कर सके। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आक्रामक पार्टी के सदस्यों द्वारा उन पर भी हमला किया गया था। सभी चश्मदीद गवाहों का संस्करण समान है।

3. हालाँकि, उक्त घटना के तरीके के संबंध में कुछ विसंगतियाँ हैं। पीडब्लू–1 के अनुसार, पंचायत की तारीख पर, पहले दोनों पक्षों के बीच एक मौखिक परिवर्तन हुआ और फिर हमला हुआ, जबकि पीडब्लू–2 और कुछ अन्य चश्मदीद गवाहों के अनुसार, हमला बिना किसी उकसावे के हुआ।। हमारा विचार है कि इस अपील को तय करने के उद्देश्य से, हम यह भी मान सकते हैं कि दोनों पक्षों के बीच कुछ मौखिक विवाद हुआ था।

4. घटना से इनकार नहीं किया जाता है। मुख्य बचाव यह है कि दोनों पक्षों में एक स्वतंत्र लड़ाई थी और यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि मन की पूर्व बैठक है। आरोपी को धारा 34 या धारा 149 आईपीसी के तहत दोषी नहीं ठहराया गया था और इसलिए, प्रत्येक व्यक्तिगत आरोपी को केवल उस व्यक्ति को लगी चोट के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। इसलिए, ऑटोप्सी सर्जन डॉ. राजमणि, सहायक सर्जन (पीडब्लू–3) के चिकित्सा साक्ष्य को संदर्भित करना प्रासंगिक हो जाता है। चोटों के रूप में हैं
निम्नः "1, एक एंटेमॉर्टम लाल, तिरछा घाव जो 6 सेमी एक्स एलएम एक्स को मापता है, खोपड़ी के बाएं ललाट क्षेत्र पर हड्डियों को उजागर करता है, रक्तस्राव और रक्त के थक्कों के साथ मिडलाइन से 1 सेमी दूर। घाव की खोज करने पर, खोपड़ी के ललाट, पार्श्विका, लौकिक और खोपड़ी के पीछे खोपड़ी के पीछे देखा गया। ललाट की हड्डी का एक फ्रैक्चर होता है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है, ऊर्ध्वाधर, पैरा सैगिटली और एलसीएम बाईं ओर मिडलाइन से दूर, ऊपर की ओर ललाट पार्श्विका जंक्शन तक विस्तारित होता है, और एनोथ एर फ्रैक्चर लाइन जो इसके बगल में है और ललाट की हड्डी से ललाट पार्श्विका जंक्शन की ओर थोड़ा तिरछा है, 4 सेमी एक्स '* पर और खोपड़ी की हड्डियों के रक्त के थक्कों को उजागर करने पर ललाट, पार्श्विका पर मस्तिष्क के बाएं सेरेब्रल गोलार्ध की झिल्ली पर देखा जाता है।, लौकिक और पश्चकपाल क्षेत्र, मस्तिष्क का। दोनों फ्रैक्चर खोपड़ी के आंतरिक और बाहरी तालिका को शामिल करते हैं। 2। एक दूसरे से अलग सेमी के साथ 3 सेमी से 2'7 एम एक्स 4 सेमी तक अलग–अलग आकार का एक घर्षण, तिरछा, मध्य 1/3 के ऊपर रखा गया दाहिनी ओर गर्दन। 3. एक एएम घर्षण 2 '? सेमी एक्स 4 सेमी तिरछा गर्दन के दाईं ओर चोट नंबर 2 से 1 सेमी दूर रखा गया है। 4. दाहिनी ओर गर्दन के पूर्वकाल और पार्श्व की पूरी सूजन। गर्दन की त्वचा के नीचे चोट नंबर 2,3,4 मामूली रक्त के थक्कों को उजागर करने पर और दाहिनी ओर गर्दन के पूर्वकाल और पार्श्व पक्ष में देखे जाने वाले स्टर्नोमास्टॉइड मांसपेशियों और रक्त के थक्कों की भीड़। "5। डॉक्टर का कहना है कि इन चोटों के कारण मौत हुई। पहली चोट एक घाव है और यह श्री एसएन नागामुथु (वरिष्ठ अधिवक्ता) द्वारा आग्रह किया जाता है, कि यह चोट दरांती (कोडुवल) के कारण नहीं हो सकती थी, जो एक तेज धार वाला हथियार है। दरांती मुख्य रूप से घास और फसलों को काटने के लिए एक उपकरण है। भीतरी पक्ष तेज है लेकिन बाहरी तरफ कुंद है। इसे केवल कृषि के साधन के रूप में उपयोग करते समय, तेज धार का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसे अपराध के हथियार के रूप में उपयोग करते समय, अधिक बार नहीं, यह बाहरी पक्ष होगा जिसका उपयोग पीड़ित को मारने के लिए किया जाएगा। डॉक्टर ने कहा है कि चोट एक दरांती के कारण हो सकती है जो एमओ–1 है और इसलिए, चिकित्सा साक्ष्य पूरी तरह से सभी चश्मदीद गवाहों के संस्करण की पुष्टि करता है।

6. इसके बाद आग्रह किया गया कि अपराध हत्या का नहीं था, लेकिनआपराधिक मानव वध का हो सकता है। यह आग्रह किया गया है कि मामला अपवाद 4 से धारा 300 आईपीसी के अंतर्गत आएगा, जो इस प्रकार हैः

"अपवाद 4–यदि यह प्रतिबद्ध है तो हत्या योग्य हत्या हत्या नहीं है

गम्भीर और अचानक प्रकोप में अचानक लड़ाई में बिना किसी पूर्वाग्रह के

अचानक झगड़ा और अपराधी के बिना अनुचित तरीके से लिया गया एक क्रूर या असामान्य तरीके से लाभ या कार्य किया।

7. हमारा विचार है कि अभियुक्त इस अपवाद का लाभ नहीं उठा सकता है। यह सबूत आया है कि सभी आरोपी व्यक्ति सशस्त्र आए थे। दो दरांती से लैस थे, एक लोहे के पाइप के साथ और दूसरा लकड़ी के डंडों के साथ। यहां तक कि अगर यह माना जाता है कि वे हत्या के इरादे से नहीं आए हैं, तो तथ्य यह है कि वे सशस्त्र थे, स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अचानक झगड़े पर, प्रकोपन में घटना नहीं हुई थी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, दोनों पक्ष विवाद को निपटाने के लिए पंचायत में भाग लेने के लिए आ रहे थे। यदि केवल विवाद को निपटाने का इरादा था तो हथियार ले जाने की आवश्यकता कहां थी? अन्यथा, हमें लगता है कि अपवाद 4 लागू नहीं है क्योंकि जिस तरह से सिर के बीच में झटका दिया गया था, वह इस मामले को धारा 300 आईपीसी के खंड "फोर्थली" के भीतर लाता है, जो इस प्रकार हैः

"300। हत्या–एक्सएक्सएक्स एक्सएक्सएक्स एक्सएक्सएक्स

दूसरा–एक्सएक्सएक्स एक्सएक्सएक्स

तीसरा–एक्सएक्सएक्स एक्सएक्सएक्स

चौथा–यदि अधिनियम को करने वाला व्यक्ति जानता है कि ऐसा है

आसन्न रूप से खतरनाक है कि यह सभी संभावना में, मौत का कारण होना चाहिए

या इस तरह की शारीरिक चोट के कारण मृत्यु होने की संभावना है, और इस तरह के कार्य को बिना किसी बहाने के मृत्यु के जोखिम या इस तरह की चोट के रूप में करने के लिए प्रतिबद्ध है।

0 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 12 एससीसीआर।

8. ए–1 को पता होना चाहिए था कि वह जो कार्य कर रहा है, वह मृतक को सिर पर दरांती से मारने के लिए इतनी बड़ी ताकत के साथ खोपड़ी के फ्रैक्चर का कारण बनता है, इतना खतरनाक है कि यह आसन्न रूप से मौत का कारण होगा। इसलिए, हमें गुरु @गुरुबरन (ए–1) की सजा या सजा को बदलने का कोई कारण नहीं मिलता है।

9. हालाँकि, जहां तक दुरई @दुरईराजन (ए–2) का संबंध है, चूंकि उच्च न्यायालय ने माना है कि न तो धारा 34 और न ही धारा 149 आईपीसी लागू है, प्रत्येक अभियुक्त केवल अपने स्वयं के कृत्यों और चोटों के लिए जिम्मेदार होगा। इस संबंध में, आत्माराम जिंगाराजी बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय का संदर्भ दिया गया था। जहां तक ए–2 का सवाल है, उसका आरोप है कि उसने मृतक की गर्दन के पीछे लोहे के पाइप से प्रहार किया था। चोट संख्या 2 और 3 के परिणामस्वरूप है। वे केवल घर्षण हैं और मृत्यु का कारण नहीं बन सकते थे। इसलिए, अभियुक्त को केवल धारा 324 आईपीसी के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया जा सकता है। वह पहले ही लगभग 11 साल तक कारावास की सजा काट चुका है और इसलिए, धारा 302 आईपीसी के तहत उसकी सजा को धारा 324 आईपीसी में बदल दिया गया है और सजा पहले से ही कारावास की अवधि तक कम हो गई है। जहां तक विट्री @वेट्रिवेल (ए–3), नारायणन (ए–5) और श्रीनिवासन (ए–9) की बात है अर्नेड, हमें उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है क्योंकि प्रत्येक को उस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जो उन्होंने किया है।

10. उपरोक्त के मद्देनजर, अभियुक्त 1, 3, 5 और 9 की अपील को खारिज कर दिया जाता है और अभियुक्त संख्या 2 की अपील की अनुमति है और उसकी सजा को धारा 302 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध से धारा 324 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध में बदल दिया गया है और सजा पहले से ही कारावास की अवधि तक कम हो गई है।

11. अभियुक्त–अपीलार्थी नं. 1 और 2 को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 08.01.2018 को जमानत दी गई। उपरोक्त के मद्देनजर, अपीलकर्ता नंबर 1 (ए–1) का जमानत बांड रद्द कर दिया गया है। सजा की शेष अवधि की सेवा के लिए उसे हिरासत में ले लिया जाएगा और अपीलकर्ता नंबर 2 (ए–2) के जमानत बांड को छुट्टी दे दी जाएगी। लंबित आवेदन (ओं), यदि, स्टैंड (एस) का निपटान।

अंकित ज्ञान अपील का निपटारा किया। "टी (1997) 7 एससीसी 41